

नगर पालिका अधिनियम 1916

के अन्तर्गत

नियम, विनियम, उपनियम

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर (उ.प्र.)

U.P. Municipalities Act, 1916

Provide Under

Rules - Regulations

And

BYE-LAWS

Nagar Palika Parishad

Fatehpur

2005 - 06

Ashutosh Dewedi • Shabbir Khan

B.A. L.L.B.

Executive Officer

Nagar Palika Parishad

Fatehpur

President

Nagar Palika Parishad

Fatehpur

३	२५X३० फीट के आकार तक	३००००.०० रुपया
४	३०X४० फीट के आकार तक	४००००.०० रुपया
५	जो ट्रान्सफार्मर चार पोलों पर रखे गए हों	६००००.०० रुपया
६	दूर संचार जंक्शन वाक्स/ट्रान्समीटर वाक्स ३X६ फीट के आकार तक	६००००.०० रुपया
७	दूर संचार जंक्शन वाक्स/ट्रान्समीटर वाक्स ४X८ फीट के आकार तक	८००००.०० रुपया
८	दूर संचार जंक्शन वाक्स/ट्रान्समीटर वाक्स ८X१० फीट के आकार तक	१०००००.०० रुपया
९	ऐसे समस्त केबिल जो भूमि के अन्दर या ऊपर फैलाकर धन संग्रह की जाती हो उस पर प्रति मीटर	१०.०० रुपया

उक्त शुल्क का भुगतान आपरेटर्स डिस्क ऐन्टीना की प्रति माह व अन्य को प्रति वर्ष अप्रैल माह से करना होगा।

(क) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन/दूर संचार निगम द्वारा जो भी पोल पालिका भूमि/पट्टी पर खड़े किये जायेंगे तथा गड़दा खोदा जायेगा ५००.०० रु० प्रति पोल की दर से रोड/पट्टी कटिंग शुल्क अदा करना होगा।

१०	विज्ञापन पट्टी—	रु०
	(अ) ३X२ फीट साइज तक	१००.०० प्रति फुट वार्षिक
	(ब) ३X२ से अधिक तथा ६X४ फुट तक	१५००.०० वार्षिक
	(स) ६X४ के साइज से अधिक	२५००.०० वार्षिक

११ डिस्क ऐन्टीना ५००.०० वार्षिक

१२०० वर्ग फीट तक भूमि पर ट्रान्सफार्मर/सब स्टेशन की स्थापना हेतु ४००००.०० रु. तक अधिक भूमि की प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार शुल्क जोड़ कर लिया जावेगा। जिसका निर्धारण विभागीय अधिकारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

उक्त शुल्क सम्बन्धित विभाग/फर्म/कम्पनी तथा निगम द्वारा पालिका को प्रत्येक वर्ष के माह जन में भुगतान किया जायेगा।

५—(क)—नियत समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर पालिका परिषद् उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन, दूर संचार निगम/विभाग, निगम को विद्युत उपयोग हेतु एवं टेलीफोन उपयोग हेतु जिन बिजों के भुगतान से समायोजित कर लेगी और यदि कोई बकाया अवशेष रहता है जो उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड/दूर संचार निगम/विभाग/निगम से वसूल की जायेगी।

सम्बन्धित अन्य प्राविधान एवं नियम

६—उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड/दूर संचार निगम/विभाग को अतिवार्य होगा कि